रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 1983/भाद्र 15, 1905

No. 392] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 1983/ BHADRA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1983

का. आ. 642(अ).—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 774(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./80, तारीख 12 सितम्बर, 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मध्य प्रदेश राज्य के जिला उज्जैन में महिदपुर रोड पर स्थित और चीनी का विनिर्माण करने में लगे मैसर्स सेठ गोविन्द राम शुगर मिल्स के एकक का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन 11 सितम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और मध्य प्रदेश राज्य सरकार को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ।

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, 11 मार्च, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के प्रबन्ध के अधीन बना रहे;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 11 मार्च, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 4(12)/78-सी.यू.एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 6th Septemb

S. O. 642(E).—Whereas Government of India in

692 GI/83

(Department of Industrial Development) No. S.O. 774(E)|18AA|IDRA|80, dated the 12th September, 1980 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the unit of Messrs Seth Govindram Sugar Mills manufacturing sugar at Mehidpur Road in District Ujjain in the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), [illegible] period of 3 years upto and inclusive of 11th September, 1983 and the State Government of Madhya Pradesh was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Industrial Undertaking should continue to be managed by the State Government of Madhya Pradesh for a further period of six months upto and inclusive of the 11th March, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of 11th March, 1984.

[File No. 4(12)/78-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983